डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

किसान कल्याण वर्ष-2026
समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 फरवरी, 2026, डिस्पेच दिनांक 16 फरवरी, 2026

| वर्ष 69 | अंक 18 | भोपाल | 16 फरवरी, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का औपचारिक शुभारंभ किया

- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का औपचारिक शुभारंभ किया
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक का एक मॉडल तैयार कर रहा है
- 'भारत टैक्सी' से सरकार नहीं, सहकार, टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है
- 'भारत टैक्सी' विश्व की ऐसी अनूठी सहकारी कंपनी है, जिसको चलाने वाला मालिक सारथी ही होगा, जो उनकी आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा
- 'भारत टैक्सी' का उद्देश्य कमीशन काटकर बड़ी कंपनियों की तरह पूँजी बढ़ाना नहीं, बल्कि सारथियों को उनके मुनाफे का मालिक बनाकर उनकी आय बढ़ाना है
- अभी आपकी टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई करता है, अब 'भारत टैक्सी' से आपका पहिया आपको मालिक बना कर आपके लिए कमाई कराएगा
- 'भारत टैक्सी' की 'सारथी दीदी' की सुविधा महिलाओं को सुरक्षा और सारथी दीदियों को सम्मान व आत्मनिर्भरता देगी
- 'भारत टैक्सी' से सारथी भाइयों और बहनों को हिडन चार्ज से मुक्ति मिल जाएगी
- तीन साल में देश भर में उपलब्ध होगी 'भारत टैक्सी'
- 'भारत टैक्सी' के चार मूल विचार हैं - स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान और लाभांश का समान वितरण
- 'भारत टैक्सी' के आते ही कई बड़ी कंपनियों ने अपने कमीशन कम कर चालकों और यात्रियों को डिस्काउंट देना शुरू किया
- 'भारत टैक्सी' के सारथियों को ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज, बीमा, सस्ते लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DMRC, AAI, SBI सहित 9 प्रमुख संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन
- 100 कारों की भव्य रैली और 1,200 से अधिक सारथियों की सहभागिता से भारत टैक्सी लॉन्च कार्यक्रम बना ऐतिहासिक

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत की पहली सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर एवं श्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1,200 से अधिक "सारथियों" (ड्राइवर पार्टनर्स) ने भाग लिया, जो भारत टैक्सी के चालक सशक्तिकरण और सहकारी स्वामित्व आधारित मॉडल के प्रति व्यापक समर्थन को दर्शाता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक का एक मॉडल तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि तीन साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामख्या तक सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सार्थियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगी। श्री शाह ने कहा कि जब पहली बार उन्होंने संसद के सामने सहकार टैक्सी का विषय रखा तो बहुत सारे लोगों, खासकर टैक्सी परिचालन से जुड़ी कंपनियों, ने सवाल उठाया कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में क्यों प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को 'सहकार' और 'सरकार' के बीच का भेद नहीं मालूम है। श्री शाह ने कहा कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं रही, बल्कि सहकार (Cooperation) टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि शायद पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी अनूठी कंपनी अस्तित्व में आ रही है, जिसका असली मालिक कोई व्यक्ति या बाहरी कंपनी नहीं, बल्कि टैक्सी चलाने वाला सारथी ही है। सहकार टैक्सी से जुड़े हर एक सारथी भाई-बहन ही इस सहकारी टैक्सी समिति के सच्चे मालिक हैं। उन्होंने कहा कि यह संकल्पना सहकार टैक्सी से जुड़ने वाले सारथियों के जीवन, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाली है। श्री शाह ने यह भी कहा कि हमारे देश में पहले ऐसे कई मॉडल सफल हो चुके हैं। सिर्फ 11 दूध उत्पादकों ने अमूल की शुरुआत की थी। आज गुजरात में 36 लाख से अधिक पशुपालक महिलाओं का विशाल वटवृक्ष खड़ा हो चुका है। यह पशुपालक महिलाएं सवा लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करती हैं। उन्होंने कहा कि यह मॉडल दर्शाता है कि जब आम लोग स्वयं मालिक बनते हैं, तो छोटी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है। उन्होंने कहा कि पशुपालक बहनें आज दूध बेचकर एक करोड़ रुपए तक की सालाना कमाई कर रही हैं, जो सहकारी मॉडल का कमाल है।

श्री अमित शाह ने टैक्सी सारथियों से अपील की कि वे अभी भी टैक्सी चलाते हैं, सहकार टैक्सी से जुड़ने के बाद भी टैक्सी चलाएँगे, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क होगा। उन्होंने कहा कि अभी टैक्सी का पहिया किसी और की जेब में पैसे डालता है, लेकिन अब सारथियों की टैक्सी के पहिये की कमाई सारथियों की जेब में ही जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विचार सहकारिता की भावना से ही जन्म लेता है। सहकारिता का असली अर्थ यही है कि जब ढेर सारे छोटे-छोटे पूंजी वाले लोग अपनी ताकत को एकत्रित कर लेते हैं, तो वे मिलकर बहुत बड़े-बड़े काम कर पाते हैं। जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी होती है, वे अकेले बड़ा काम करते हैं और मुनाफा भी कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है। श्री शाह ने कहा कि आज जिस सहकारिता मॉडल की बात की जा रही है, वही आज के समय में सबसे नई और सबसे सफल शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अब टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई के लिए नहीं, बल्कि टैक्सी सारथियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए घूमेगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत में कई विश्व-स्तरीय सहकारी मॉडल खड़े हो चुके हैं, जिनमें अमूल, इफको, कृभको जैसी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी भी सहकारी संस्था में शुरूआती पूंजी बहुत बड़ी नहीं थी। इसी तरह सहकार टैक्सी में सबसे बड़ी शेयर पूंजी सिर्फ 500 रुपये है और वही 500 रुपये सारथियों को असली मालिक का दर्जा दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह छोटी सी राशि टैक्सी सारथियों की मेहनत, आत्मसम्मान और उनकी आर्थिक आजादी की नींव बनने जा रही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि हर पाँच साल पर होने वाले चुनाव के बाद टैक्सी सारथियों द्वारा चुने गए दो प्रतिनिधि बोर्ड में बैठेंगे। वे ही उनके हितों की देखभाल करेंगे और उनके लिए फैसले करेंगे। यही सहकारिता की आत्मा और सच्चे मालिकाना हक की भावना है। उन्होंने कहा कि सहकार टैक्सी कुल मुनाफे में सिर्फ 20 फीसदी पैसे ही अपने पास रखेगी, यानि 100 रुपए में से 20 रुपए ही सहकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक सारथी ही हैं। श्री शाह ने कहा कि सारा मुनाफा भारत टैक्सी से जुड़े सारथी के अकाउंट में ही जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी के पूंजी खाते में पड़े 20 रुपए के मालिक भी सारथी ही होंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी की कल्पना मौजूदा तीनों प्रकार के टैक्सी वाहनों को एक साथ जोड़कर की गई है जिसमें चार पहिया टैक्सी, तीन पहिया और दो पहिया वाहन शामिल हैं। उन्होंने देश की मातृ शक्ति को संदेश दिया कि भारत टैक्सी उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मंत्री श्री सारंग के सहकारिता में नवाचार-उपलब्धियों का प्रजेंटेशन तैयार करने के निर्देश

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह की अध्यक्षता में होगी समीक्षा

सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री सम्मेलन में लेंगे भाग

भोपाल। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग में किये गये नवाचार एवं उपलब्धियों से संबंधित प्रजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा चाही गयी बिन्दुवार जानकारी तैयार की जाये। जानकारी पूर्णत: अद्यतन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। मंत्री श्री सारंग सोमवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में 17 फरवरी को होने वाले प्रस्तावित सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गयी थी।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रजेंटेशन में सहकारिता विभाग की विशेषताएँ एवं उपलब्धियों सहित सीपीपीपी मॉडल, चीता बीज और नवाचारों का भी समावेश किया जाये। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में किये गये सर्वोत्तम कार्यों की जानकारी भी दी जाये। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में सर्कुलेरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी का भी समावेश किया जाये। सहकारिता में सहकार अभियान के तहत दुग्ध, मत्स्य सहित अन्य सहकारी संस्थाओं तथा उनके सदस्यों के खातों की संख्या दर्शाई जाये। प्रचार-प्रसार की दृष्टि से किये गये प्रयासों को भी बतायें। प्रजेंटेशन को अद्यतन जानकारी के साथ आकर्षक बनाया जाये और कम्पाइल प्रजेंटेशन तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पेक्स का बहुउद्देश्यीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाएँ एवं सहकारिता क्षेत्र को लाभ, वित्तीय सहायता आदि का समावेश किया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव श्री डी.पी. आहूजा, प्रबंध संचालक बीज संघ श्री महेन्द्र दीक्षित, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता, प्रबंध संचालक सहकारी संघ श्री ऋतुराज रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पैक्स को बनाएं बहुउद्देशीय सुविधा केंद्र : मंत्री श्री सारंग

भारत विस्तार (VISTAAR) प्लेटफॉर्म से किसानों को जोड़ने के दिए निर्देश

मंत्री श्री सारंग ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

भोपाल। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 के संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री श्री सारंग ने केंद्रीय बजट में सहकारिता विभाग के लिए स्वीकृत प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट में स्वीकृत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अनुरूप परिणामोन्मुखी कार्ययोजना शीघ्र तैयार की जाए जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तय समय-सीमा में सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाना एवं किसानों की आय बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डीपी आहूजा, प्रबंध संचालक बीज संघ श्री महेंद्र दीक्षित, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री श्री सारंग ने भारत विस्तार (AI आधारित) प्लेटफॉर्म के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को नवीन कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं, मौसम पूर्वानुमान एवं वैज्ञानिक कृषि सलाह से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण स्तर तक किसानों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिये जागरूक किया जाए जिससे किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर सकें।

मंत्री श्री सारंग ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) को और अधिक सशक्त एवं उपयोगी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि पैक्स के माध्यम से पशुआहार एवं अन्य आवश्यक कृषि एवं पशुपालन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों एवं पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं प्राप्त होंगी और उनकी निर्भरता अन्य माध्यमों पर कम होगी।

क्लस्टर आधारित विकास पर दें विशेष ध्यान

मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को क्लस्टर आधारित विकास (Cluster Based Development) मॉडल को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मॉडल से सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, संसाधनों का समुचित उपयोग संभव होगा और किसानों की आय में सतत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सकेगी।

क्या है भारत विस्तार (VISTAAR) प्लेटफॉर्म

भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का पूरा नाम Virtually Integrated System to access Agricultural Resources (VISTAAR) है। यह एक AI आधारित आधुनिक कृषि सलाह प्रणाली है, जो फसल पैटर्न, मिट्टी की स्थिति, मौसम के रुझान एवं अन्य कृषि आंकड़ों का विश्लेषण कर किसानों को सटीक और उपयोगी सुझाव देगी।

यह प्लेटफॉर्म किसान कॉल सेंटर सेवाओं से भी जुड़ा होगा, जिससे किसान सीधे अपने प्रश्न पूछ सकेंगे और त्वरित समाधान प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही रियल टाइम मौसम पूर्वानुमान API के माध्यम से किसानों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता : मंत्री श्री सारंग

कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा स्टेट फोकस पेपर : मंत्री श्री कंषाना

राज्य ऋण संगोष्ठी : नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर 2026–27 का हुआ विमोचन

भोपाल : राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), मध्यप्रदेश द्वारा राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्टेट फोकस पेपर 2026–27 (मध्यप्रदेश) का विधिवत विमोचन किया गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता

मंत्री श्री सारंग ने स्टेट फोकस पेपर 2026–27 के विमोचन अवसर पर कहा कि यह दस्तावेज ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आगामी वर्षों का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि एवं सहकारिता है और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर तीव्र गति से आगे बढ़ रही है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

किसानों को सशक्त बनाने किया जा रहा है तकनीक का प्रभावी उपयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री से पारदर्शी व प्रमाणिक कृषि डेटा व्यवस्था हुई स्थापित

म.प्र. बना फार्मर रजिस्ट्री के शत-प्रतिशत अनुपालन वाला पहला राज्य

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाने और कृषि व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य में ग्रामीण डेटा प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान की गई है। उन्नत तकनीक, पारदर्शी डेटा प्रबंधन और केंद्र-राज्य समन्वय से यह पहल किसानों के हित में मजबूत डिजिटल आधार तैयार कर रही है। इससे किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेत पर उपस्थित होकर फसल की फोटो लेकर जानकारी सुरक्षित की जा रही है, जिससे फसल संबंधी डेटा पूरी तरह प्रमाणिक हो रहा है। जियो-फेंसिंग तकनीक से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्वे केवल वास्तविक खेत स्थल पर ही किया जाए। सर्वे डेटा का त्रिस्तरीय सत्यापन एआई/एमएल सिस्टम और पटवारी स्तर पर किया जा रहा है। अन्य विभागों द्वारा भी इस डेटा का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। डीसीएस डेटा के आधार पर उपार्जन पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इंटरनेट उपलब्ध न होने की स्थिति में भी सर्वे की विश्वसनीयता बनी रहे। सर्वे के दौरान ली गई फोटो की प्रामाणिकता और सही लोकेशन की पुष्टि प्रणाली द्वारा की जाती है। सर्वे केवल निर्धारित समयावधि में ही संभव है और समय सीमा के बाहर या मोबाइल समय में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होने पर सर्वे स्वतः रुक जाता है। एआई या एमएल एल्गोरिदम के माध्यम से डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन कर मानवीय त्रुटियों की संभावना को न्यूनतम किया गया है। फसल क्षेत्र, उत्पादन अनुमान और योजनाओं के क्रियान्वयन में डेटा-ड्रिवन निर्णय लिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री को एकीकृत डिजिटल प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। इसमें किसानों की पहचान, भूमि विवरण और योजना संबंधी जानकारी का केंद्रीकृत पंजीकरण एवं सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटल एकीकरण, स्थान आधारित रिकॉर्ड और बहु-स्तरीय डेटा जांच शामिल हैं। प्रत्येक किसान को 11 अंकीय विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या प्रदान की जा रही है, जिससे एक प्रमाणिक और सटीक किसान डेटाबेस (यूनिफाइड डिजिटल प्रोफाइल) तैयार हो रही है।

फार्मर रजिस्ट्री के निर्धारित मानकों का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। एससीए योजना में भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 713 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह डिजिटल व्यवस्था डुप्लीकेशन और फर्जी लाभार्थियों पर प्रभावी रोक लगाएगी और भविष्य की सभी डिजिटल कृषि योजनाओं की मजबूत नींव बनेगी। साथ ही, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किसानों को आसान कृषि ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

हर विधानसभा में स्थापित होगा युवा शक्ति मिशन : मंत्री श्री सारंग

मंत्री श्री सारंग ने की खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक

भोपाल : सहकारिता ,खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय स्थित अपने कक्ष में केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 के संदर्भ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री श्री सारंग ने केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए स्वीकृत प्रावधानों एवं निर्धारित लक्ष्यों को तय समय-सीमा में हासिल करने के लिए एक पृथक एवं ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ हर खिलाड़ी और युवाओं तक पहुँचे इसके लिए सतत निगरानी और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली अपनाई जाए। साथ ही उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में युवा शक्ति मिशन की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री मनीष सिंह, उप-संचालक श्री बी.एस. यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हर विधानसभा में स्थापित होगा युवा शक्ति मिशन

मंत्री श्री सारंग ने प्रदेश के युवाओं को संगठित, सशक्त एवं नेतृत्वशाली बनाने के उद्देश्य से हर विधानसभा क्षेत्र में युवा शक्ति मिशन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मिशन के माध्यम से युवाओं को नेतृत्व विकास, कौशल प्रशिक्षण एवं खेल गतिविधियों से जोड़ा जाएगा जिससे प्रदेश का युवा वर्ग विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके।

युवा केंद्रित गतिविधियों को संभाग स्तर पर करें आयोजित

मंत्री श्री सारंग ने युवा कल्याण गतिविधियों को और अधिक सशक्त एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से संभाग स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को समान अवसर प्राप्त होंगे तथा उनकी प्रतिभाओं को उचित मंच मिलेगा।

उपलब्धियों, नवाचारों एवं सफल मॉडलों का हो प्रभावी प्रचार-प्रसार

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के सतत कौशल उन्नयन और क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने खेलों में नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए निर्देश दिए कि विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों एवं सफल मॉडलों का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़े और मध्यप्रदेश की सकारात्मक छवि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो।

मंत्री श्री सारंग ने खेल अधोसंरचना के विकास हेतु पीपीपी मॉडल को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को मिली बड़ी राहत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित

किसानों से उपार्जित धान का समय पर भुगतान भी हुआ सुनिश्चित

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाताओं को समर्थ बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसानों को बगैर बाधा के उनकी उपज का पूरा मूल्य, समय पर मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सीजन 2025-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन हुआ। उपार्जन के आंकड़े नीतियों की सफलता दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारु और किसान-हितैषी बनाया गया है। इसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि खरीफ़ सीजन में धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो पिछले सत्र के एमएसपी से 69 रुपए अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई यह वृद्धि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार का ठोस प्रयास है। पिछले खरीफ़ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल था। गत सत्र में तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6 लाख 69 हज़ार 272 धान उत्पादक किसानों से कुल 43 लाख 52 हज़ार 905 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सत्र में प्रदेश में 8 लाख 59 हज़ार 822 धान उत्पादक किसानों का पंजीयन किया गया था। इनमें से 7 लाख 89 हज़ार 757 किसानों (करीब 92 प्रतिशत) ने स्लॉट बुक कर धान उपार्जन प्रक्रिया में भाग लिया। इन किसानों में से 7 लाख 62 हज़ार 620 किसान (89 प्रतिशत) धान विक्रेता के रूप में उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे। इस वर्ष धान उपार्जन के लिए प्रदेश में 1,436 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों के जरिए इस सीजन में 51 लाख 74 हज़ार 792 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। उपार्जित धान में से 48 लाख 38 हज़ार 637 मीट्रिक टन से अधिक धान का परिवहन भी पूरा कर लिया गया है। परिवहन किए गए धान में से 46 लाख 30 हज़ार 21 मीट्रिक टन धान गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस सीजन में उपार्जित धान के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 12 हज़ार 259 करोड़ रुपये आंकलित किया गया। इस आंकलित मूल्य में से करीब 11 हज़ार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन मूल्य से किसानों को आर्थिक संबल मिला है और वे अगली फसल से जुड़े कार्यों की तैयारी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा धान उपार्जन की संपूर्ण प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा लाभ भी समय पर प्राप्त हो सके।

युवा सहकार और स्वयंशक्ति सहकार योजनाओं से सहकारी आंदोलन को मजबूती

एनसीडीसी द्वारा युवाओं और महिला समूहों को हजारों करोड़ की वित्तीय सहायता

नई दिल्ली : सहकारी क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा युवा सहकार योजना और स्वयंशक्ति सहकार योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा है। दोनों योजनाएं पूरी तरह से एनसीडीसी द्वारा वित्तपोषित एवं समर्थित हैं।इन योजनाओं के माध्यम से नवाचार, स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा मिल रही है।

युवा सहकार योजना : नवाचार और युवाओं को बढ़ावा

युवा सहकार योजना का उद्देश्य नए और अभिनव विचारों पर आधारित नवस्थापित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत युवाओं को सहकारी क्षेत्र में उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों को कुल ₹24.75 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 354 लाभार्थी सदस्यों को लाभ मिला।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सहकारी समितियों को कुल ₹136.31 लाख की सहायता दी गई, जिससे 5,208 से अधिक सदस्यों को लाभ पहुंचा।

वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह सहायता और अधिक बढ़ी। इस अवधि में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सहकारी समितियों को कुल ₹165.91 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 11,010 लाभार्थी सदस्य लाभान्वित हुए। विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया।

स्वयंशक्ति सहकार योजना : महिला सशक्तिकरण की मजबूत पहल

स्वयंशक्ति सहकार योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वर्गों, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को किफायती, लागत प्रभावी और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत SHGs को सामूहिक सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों और संधारणीय आजीविका को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आंध्र प्रदेश को इस योजना के अंतर्गत ₹1000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 2.30 लाख से अधिक महिला लाभार्थी सदस्य लाभान्वित हुईं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कुल ₹756.11 करोड़ की सहायता दी गई। इस अवधि में 1.27 लाख से अधिक महिला सदस्यों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वयंशक्ति सहकार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सहकारी संस्थाओं को कुल ₹1754.60 करोड़ की सहायता प्रदान की गई, जिससे 3.15 लाख से अधिक महिला लाभार्थी सदस्य लाभान्वित हुईं। केरल और आंध्र प्रदेश इस योजना के प्रमुख लाभार्थी राज्य रहे।

सहकारी आंदोलन को नई गति

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, युवा सहकार और स्वयंशक्ति सहकार योजनाएं सहकारी क्षेत्र में युवाओं की उद्यमशीलता, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और वित्तीय समावेशन को सशक्त आधार प्रदान कर रही हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका भी मजबूत हो रही है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति–2025 से महिला सहकारी संस्थाओं को नई दिशा

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में सहकारी आंदोलन की निर्णायक भूमिका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय सहकारिता नीति–2025 देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है। यह नीति सहकारी समितियों में महिलाओं की समावेशी, सक्रिय और नेतृत्वकारी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है तथा उन्हें कानूनी पहचान, सक्षम नीतिगत ढांचा, डिजिटलीकरण, वित्तीय संसाधनों तक पहुँच और व्यवसायिक विस्तार के अवसर प्रदान करती है।

नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को केवल आर्थिक इकाई न मानकर सामाजिक समता और समावेशी विकास का वाहक बनाना है, जिसमें महिलाओं को प्रमुख हितधारक के रूप में स्थापित किया गया है। विशेष रूप से डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, कृषि आधारित गतिविधियाँ और सामुदायिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महिला-आधारित सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से हो रहा सशक्तीकरण

राष्ट्रीय सहकारिता नीति को धरातल पर उतारने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समन्वय कर कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन पहलों का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें स्वरोजगार, उद्यमिता और नेतृत्व के अवसर प्रदान करना है।

स्वयं सहायता समूहों से सहकारी ढांचे तक

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं के स्वामित्व और प्रबंधन में कार्यरत अनौपचारिक समूह हैं। यद्यपि ये समूह पंजीकृत नहीं होते, लेकिन इनके क्लस्टर स्तरीय परिसंघ (CLF) राज्य सहकारी अधिनियम, बहु-राज्य सहकारी अधिनियम अथवा पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं।

अब तक देशभर में 10,381 CLF का पंजीकरण हो चुका है, जो महिला सहकारी आंदोलन की व्यापकता को दर्शाता है।

महिला सहकारी समितियों को मजबूत वित्तीय समर्थन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम महिलाओं के लिए कृषि उपज, खाद्य सामग्री, औद्योगिक वस्तुएं, पशुधन, पर्यटन, ग्रामीण आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहकारी सिद्धांतों पर आधारित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों में NCDC द्वारा दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है—

वित्तीय वर्ष	सहायता राशि (रु. करोड़)	लाभार्थी महिला सदस्य
2022–23	1000.00	2,30,833
2023–24	756.11	1,27,646
2024–25	1754.60	3,15,211

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला सहकारी समितियों के माध्यम से लाखों महिलाओं की आय, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।

वित्तीय साक्षरता से मजबूत हो रहा ग्रामीण समाज

ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता सामुदायिक रिसोर्स व्यक्ति (FL-CRP) तैयार किए गए हैं। अब तक 56,727 महिला SHG सदस्यों को FL-CRP के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ये प्रशिक्षित महिलाएं गांव-स्तर पर बैंकिंग सेवाओं, बचत, ऋण, डिजिटल लेनदेन, बीमा, पेंशन और वित्तीय नियोजन से संबंधित नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक, इस व्यवस्था के माध्यम से 2.94 करोड़ SHG सदस्यों को वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों में आर्थिक निर्णय-क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सहकारी नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने नेतृत्व विकास, शासन, वित्तीय साक्षरता और प्रबंधकीय कौशल पर केंद्रित दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष 2021 से अब तक 3,12,006 महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।इससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है।

"नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब योजना अंतर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न"

भोपाल। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण योजना SOFTCOB के अंतर्गत शाजापुर जिले के एम-पैक्स (बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों) कार्मिकों के क्षमता विकास हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 29 जनवरी 2026 को जिला सहकारी संघ मर्यादित, शाजापुर के सभागृह में हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त सहकारिता, जिला-शाजापुर श्री ओ.पी. गुप्ता एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री कोमल डहाके द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया।

अपने उद्बोधन में श्री गुप्ता द्वारा सहकारी संस्थाओं की भूमिका, एम-पैक्स के सुदृढ़ीकरण, शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली तथा कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। वहीं सुश्री कोमल डहाके द्वारा बैंकिंग अनुशासन, ऋण वितरण, वसूली प्रणाली एवं एम-पैक्स एवं बैंक के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

शुभारंभ अवसर पर सत्र समन्वयक (SOFTCOB) श्री पी.के. परिहार, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल के प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी, सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट श्री संतोष येड़े, प्रशिक्षक श्री प्रदीप कुमार रैकवार एवं श्री सुयश शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण एवं एम-पैक्स कार्मिक उपस्थित रहे।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

समर्थन मूल्य पर सात मार्च तक होगा गेहूं उपार्जन के लिये पंजीयन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मात्र मृत्यु दर 173 से घटकर 142 और शिशु मृत्यु दर 41 से हुई घटकर 37

आयुष्मान योजना से उपचार में मध्यप्रदेश देश में प्रथम

बालाघाट में होने वाली कृषि कैबिनेट पूरे क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में लाने के संकल्प का होगा प्रतीक

प्रदेश के सभी अभयारण्यों में करेंगे रेस्क्यू सेंटर की व्यवस्था

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़ने पर दी बधाई

प्रदेश में जल्द ही लाए जाएंगे जंगली भैंसा

वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, वन और संस्कृति विभाग समन्वित रूप से बनाएं कार्य योजना

प्रदेश में टेक्सटाइल यूनिटों की स्थापना को करें प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रीगण को किया संबोधित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं का उपार्जन के लिये पंजीयन 7 फरवरी से आरंभ हो गया है, यह 7 मार्च तक जारी रहेगा। प्रदेश में 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य गत वर्ष से 160 रुपए अधिक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक संदेश मिला है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 और शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 37 हो गई है। टी. बी. उन्मूलन कार्यक्रम में मध्यप्रदेश देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल है। सिकल सेल उन्मूलन के लिए प्रदेश में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से उपचार में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। एयर एंबुलेंस सेवा और राहवीर योजना के क्रियान्वयन में भी निरंतर प्रगति हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले हुए वंदे मातरम के सामूहिक गान के बाद, अपने संबोधन में यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आहवान किया कि सभी जिलों में विक्रमोत्सव और गुड़ी पड़वा का पर्व उल्लास और उत्साह से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके तत्काल बाद प्रदेश में जल गंगा अभियान आरंभ हो जाएगा जो 3

महीने तक जारी रहेगा। उन्होंने मंत्रीगण को अपने-अपने जिलों में अभियान की गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को नक्सलियों से

मुक्त करने के उपलक्ष में 9 फरवरी को बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल क्षेत्र की कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, जो पूरे क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाने के संकल्प का प्रतीक होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश को रेल के क्षेत्र में सिंगरौली जबलपुर ट्रेन की सौगात प्राप्त होने वाली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेस्क्यू सेंटर और जू एक साथ विकसित करने की योजना है, इसके अंतर्गत जबलपुर और उज्जैन में गतिविधियां आरंभ हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जहां अभयारण्य हैं वहां रेस्क्यू सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये पर्यटन, वन और संस्कृति विभाग समन्वित रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चीतों के परिवार में वृद्धि की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश- दुनिया मैं विलुप्त हो रही वन्य प्रजाति पुनर्जीवित हो रही है। प्रदेश में चीतों की संख्या 35 हो गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही और भी खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने बताया कि इंदौर जू से भी व्हाइट टाइगर की संख्या में वृद्धि का शुभ समाचार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से प्रदेश में वन्य जीवों के पुनर्स्थापना के संबंध में हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप अब प्रदेश में जंगली भैंसा भी लाए जा रहे हैं। साथ ही बोत्सवाना से 8 चीते 28 फरवरी को प्रदेश में लाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए रखा गया है, जो पिछली बार की एमएसपी से अधिक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 51 लाख 74 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। प्रदेश में 8 लाख 59 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया, जिसमें से 7 लाख 89 हजार से अधिक किसानों ने स्पॉट बुकिंग कर धान उत्पादन में अपना योगदान दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा इस वर्ष प्रदेश में गेहूं की पर्याप्त पैदावार होने की संभावना है, राज्य सरकार के पास भंडारण की समुचित व्यवस्था है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्र में वस्त्र उद्योग इकाई स्थापना की संभावनाओं को भी देखें तथा मूलभूत आवश्यकता वाले रोजगारपरक टेक्सटाइल यूनिटों की अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापना के लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गत दिवस हुई उनकी हरिद्वार यात्रा के संबंध में भी जानकारी दी।

विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम

नई दिल्ली। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी: विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम, 2025, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ पच्चीस दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।

यह बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय एवं मानव संसाधन विकास (एनआरईजीएस) के अंतर्गत 100 दिनों के मजदूरी रोजगार के प्रावधान की तुलना में नए अधिनियम के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनमें किसान भी शामिल हैं, के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि निर्धारित समय के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। इस प्रकार, रोजगार और आजीविका सुरक्षा दोनों को कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया है।

इसके अलावा, विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं है । यह एक व्यापक ढांचा है जिसे जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी गतिविधियों और चरम मौसम की घटनाओं को कम करने के कार्यों के चार

विषयगत कार्य क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बनाया गया है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत किए जाने वाले कई कार्य कृषि इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। यह अधिनियम कृषि के चरम मौसमों के दौरान श्रम उपलब्धता को सुगम बनाकर किसानों का समर्थन करता है। यह सर्वविदित है कि बुवाई और कटाई के चरम समयों के दौरान किसानों को अक्सर श्रम की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल का नुकसान हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए, राज्यों को कृषि के चरम मौसमों के दौरान एक वर्ष में कुल 60 दिनों की अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है, जब कार्यक्रम के कार्यों को रोका जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कृषि कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और किसानों को जरूरत के समय श्रम सहायता प्राप्त हो। यह प्रावधान कृषि समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।

नए अधिनियम में जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जो कृषि के लिए मूलभूत है। तालाबों, बांधों, कृषि तालाबों, नहरों, भूजल पुनर्भरण संरचनाओं और सूक्ष्म सिंचाई सहायता प्रणालियों जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इन उपायों से सिंचाई का दायरा बढ़ेगा, अनियमित वर्षा पर निर्भरता कम होगी और फसलों की मजबूती में

सुधार होगा। यह दृष्टिकोण न केवल वर्तमान आवश्यकताओं के लिए है, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और भावी पीढ़ियों के लिए भी है।

इस अधिनियम में यह भी स्वीकार किया गया है कि किसानों की चुनौतियाँ केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं हैं। फसल कटाई के बाद का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, अनुमत कार्यों में खेत स्तर पर भंडारण, गोदाम, ग्रामीण हाट और शीत भंडारण अवसंरचना का निर्माण भी शामिल है। ये सुविधाएँ किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रूप से संग्रहित करने, मजबूरी में बिक्री से बचने और बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करती हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार होता है।

इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ते जोखिमों का सामना करने के लिए भी कार्य करता है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, तटबंध, जल संरक्षण, आपदा आश्रय स्थल और आपदा के बाद पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं। इससे गांवों और कृषि भूमि की मजबूती बढ़ती है और साथ ही संकट के समय रोजगार भी उत्पन्न होता है।

नए अधिनियम में कृषि से जुड़े विविध आजीविका के साधनों को बढ़ावा दिया गया है, जिनमें पशुपालन, मत्स्य पालन, वर्मी-कंपोस्टिंग, नर्सरी, बागवानी और मूल्यवर्धन गतिविधियाँ शामिल हैं। इससे किसानों को कई स्रोतों से आय बढ़ाने, स्थानीय अवसर पैदा करने, संकटग्रस्त पलायन को कम करने और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का औपचारिक शुभांरभ किया

पृष्ठ-1 का शेष...

उन्होंने कहा कि हमने सारथी दीदी की एक खास संकल्पना तैयार की है जिसके तहत आने वाले समय में ऐप में 'सारथी दीदी' के लिए एक अलग विंडो होगी, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली किसी भी महिला को केवल 'सारथी दीदी' ही पिक करने आएंगी। श्री शाह ने कहा 'सारथी दीदी' दो पहिया वाहन लेकर आएंगी और बहुत कम किराए में सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी और व्यावहारिक राहत साबित होगी। आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से देश की मातृ शक्ति को एक सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। यह सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इफको टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कुल नौ प्रमुख संस्थाओं के साथ भारत टैक्सी ने समझौता (एमओयू) किया है। इन समझौतों के जरिए भारत टैक्सी के ग्राहकों को कई अतिरिक्त सुविधाएँ मिलेंगी और साथ ही इन सभी संस्थाओं को भारत टैक्सी की सेवाएँ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएँ अब सहकार टैक्सी की सफलता में हिस्सेदार बन चुकी हैं। यह स्वामित्व मॉडल पर आधारित नया टैक्सी कॉन्सेप्ट आज पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है, जो न केवल सारथियों के लिए मालिकाना हक की भावना लाता है, बल्कि यात्रियों और विभिन्न संस्थाओं के लिए भी एक भरोसेमंद और सुविधाजनक विकल्प प्रस्तुत करता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी द्वारा तय किया गया फिक्स्ड चार्ज सारथियों के अकाउंट से अलग रहेगा। इसके अलावा, भारत टैक्सी सारथियों की पसीने की कमाई से एक प्रतिशत भी कमीशन नहीं काटेगी, जिससे उनकी समृद्धि तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य कंपनी की पूंजी को बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत टैक्सी के असली मालिक, सारथी भाइयों और सारथी दीदियों, का मुनाफा और आय बढ़ाना है। श्री शाह ने कहा कि ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान सीधे सारथी के अकाउंट में तत्काल ऑटोमैटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी भी सारथी का अकाउंट बिना उचित सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, सारथियों का भी दायित्व है कि वे ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी टैक्सी की गुडविल बनाए रखें और सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शिकायतों की सुनवाई के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और निष्पक्ष सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अब तक बुकिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस और भारी कमीशन जैसी बातें कंपनी की बैलेंस शीट को मोटा करती थीं और सारथी की कमाई को घटाती थीं। भारत टैक्सी में ऐसी कोई फीस या कमीशन की व्यवस्था ही नहीं है और सारथी ही मालिक होंगे। यह विचार पश्चिमी सोच वाले लोगों को शायद समझ न आए, लेकिन यही सहकारिता की असली ताकत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की शुरुआत सहकारिता क्षेत्र के लिए नए आयाम खोलने की भी शुरुआत है। पिछले 125 वर्षों से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि सहकारी मॉडल को नए-नए क्षेत्रों में ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक वाला मॉडल तैयार कर रहा है। आने वाले समय में हम तीन-चार ऐसे क्षेत्रों में इस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, जहां मेहनत करने वाले व्यक्ति के पसीने और परिश्रम का फल उसी के पास रहेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी के चार मूल मंत्र हैं—स्वामित्व (ownership), सुरक्षा कवच (security), सम्मान (dignity) और सबका पहिया, सबकी प्रगति, यानी सभी के लिए लाभांश का उचित वितरण। इन्हीं चार उद्देश्यों के साथ भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में यह एक बहुत सफल प्रयोग साबित होगा। उन्होंने कहा कि 6 जून 2025 को इसकी स्थापना हुई और आज से यह कमर्शियली लॉन्च हो रही है। महज 8 महीनों के भीतर दिल्ली और गुजरात में किसी भी अन्य टैक्सी कंपनी से ज्यादा सारथी और ग्राहक भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन किसी अन्य कंपनी ने नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे सारथी भाइयों-बहनों को इंश्योरेंस, सरकारी रोजगार योजनाओं, लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ स्वतः मिल सकेगा। हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं ताकि हर सारथी को पूरा सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिल सके।

सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता : मंत्री श्री सारंग

पृष्ठ-2 का शेष...

जनधन योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिससे न केवल योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचा है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली भी मजबूत हुई है।

कमजोर सहकारी बैंकों को सहायता से मिले सकारात्मक परिणाम

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि कुछ कमजोर जिला सहकारी बैंकों के कारण कृषकों को पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में कठिनाइयाँ आ रही थीं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 6 कमजोर जिला सहकारी बैंकों – रीवा, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी एवं दतिया को ₹50-50 करोड़, कुल ₹300 करोड़ की अंशपूंजी सहायता प्रदान की गई। इस सहायता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इन बैंकों द्वारा गत वर्ष की तुलना में लगभग ₹675 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण 75,000 कृषकों को वितरित किया गया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए 16 विभागों को मिलाकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष भी कृषि क्षेत्र में निवेश धरातल पर उतरेंगे।

ग्रामीण उद्यमियों तक ऋण पहुँचना आवश्यक-मंत्री श्री कंषाना

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर 2026–27 आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट है, जो प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दिशा प्रदान करेगा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना आवश्यक है। इसके लिए ग्रामीण उद्यमियों तक समय पर एवं पर्याप्त ऋण पहुँचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026–27 मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

स्टेट फोकस पेपर 2026–27 की प्रमुख विशेषताएँ

स्टेट फोकस पेपर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में मध्यप्रदेश के लिए कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता ₹3,75,384.29 करोड़ आंकी गई है। यह राज्य की कृषि, MSME एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी आवश्यकताओं का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है। इसमें से ₹2,08,743.78 करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित हैं, जिनमें फसल ऋण, कृषि अवसंरचना एवं सहायक गतिविधियाँ शामिल हैं। ₹1,46,269.36 करोड़ MSME क्षेत्र के लिए संभावित ऋण क्षमता के रूप में आंके गए हैं। शेष ₹20,371.15 करोड़ निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए अनुमानित हैं।

स्टेट फोकस पेपर में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान बना हुआ है, जो राज्य के सकल घरेलू राज्य उत्पाद (GSDP) में 44.36% का योगदान देती है। विशाल कृषि योग्य भूमि एवं अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ इसे सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। इसके अनुरूप SFP में कृषि ऋण क्षमता ₹1,79,589.97 करोड़, कृषि अवसंरचना के लिए ₹6,461.67 करोड़ तथा सहायक गतिविधियों के लिए ₹22,692.14 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। मध्यप्रदेश गेहूं, चावल, सोयाबीन, चना, दालों एवं तिलहनों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जिससे फसल उत्पादन, कृषि मशीनीकरण, सिंचाई एवं वैल्यू चेन विकास के लिए संस्थागत ऋण की निरंतर आवश्यकता स्पष्ट होती है।

नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब योजना अंतर्गत दो दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न

पृष्ठ 4 का शेष...

सत्र समन्वयक (SOFTCOB) श्री पी.के. परिहार द्वारा सॉफ्टकॉब योजना के उद्देश्य, संरचना, नाबार्ड की भूमिका, प्रशिक्षण की उपयोगिता तथा एम-पैक्स के संस्थागत विकास हेतु अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही दैनिक कार्यप्रणाली, अभिलेख संधारण, ऋण-वसूली, सेवा विस्तार एवं व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश की सहकारी नीति एवं केंद्र सरकार की सहकारी नीतियों के प्रावधानों, उद्देश्यों एवं उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट द्वारा सहकारी अधिनियम, उपविधियाँ, समिति प्रबंधन, लेखा-पुस्तकों का संधारण, ऑडिट प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक व्याख्यान दिया गया।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल के प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी द्वारा शासन के नवीन दिशा-निर्देशों, एम-पैक्स के कम्प्यूटरीकरण, डिजिटल लेन-देन, डीबीटी (DBT), एमआईएस (MIS) प्रणाली तथा सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपायों पर प्रकाश डाला गया।

सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट श्री संतोष येड़े द्वारा सदस्य सहभागिता, सामाजिक सशक्तिकरण, जागरूकता निर्माण, नेतृत्व विकास, महिला एवं युवा सहभागिता तथा एम-पैक्स को ग्राम-स्तर पर सशक्त संस्थान के रूप में विकसित करने संबंधी विषयों पर व्यावहारिक उदाहरणों सहित मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

प्रशिक्षक श्री प्रदीप कुमार रैकवार एवं श्री सुयश शर्मा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा नाबार्ड एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी इस प्रकार के क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

कलेक्टर श्री कन्याल ने किया हस्तशिल्प प्रदर्शनी–2026 का शुभारम्भ

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी–2026 का शुभारम्भ प्रताप छात्रावास, मैन रोड, गुना में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल (IAS) द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी 07 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है।

शुभारम्भ समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर श्री कन्याल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हस्तशिल्प भारतीय सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है तथा इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ शिल्पकारों को प्रत्यक्ष विपणन मंच उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ राष्ट्रीय पहचान प्रदान करती हैं।

इस अवसर पर जिला पंचायत गुना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक दुबे विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अर्चित सहारे, सहायक निदेशक (हस्तशिल्प), कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, ग्वालियर की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा शिल्पकारों के कौशल विकास, विपणन सुविधा एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा ऐसी प्रदर्शनियाँ शिल्पकारों को उपभोक्ताओं से सीधे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री मुकेश जैन, उपायुक्त सहकारिता, जिला गुना द्वारा की गई। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से शिल्पकारों को संगठित कर उनके उत्पादों को सुदृढ़ एवं व्यापक बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से आए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों की विशेष सहभागिता देखने को मिल रही है। कार्यक्रम के दौरान हस्तशिल्प कारीगरों द्वारा निर्मित विविध उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है। इनमें जूट बैग, जरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी, बाँस शिल्प उत्पाद, हैदराबाद की कलमकारी, बिहार की शिल्पकला, जयपुर की लटकन मीनाकारी, दिल्ली एवं आगरा की ज्वेलरी, देहरादून का कुशिया वर्क, बैंगलोर का पेंटिंग वर्क, राजस्थान की क्ले एवं क्रॉकरी, उत्तर प्रदेश का टलाश वर्क, मध्यप्रदेश की दरी, बेडशीट, बीड वर्क, तोरण आर्ट, लेदर आर्ट, खजूर शिल्प तथा बुरहानपुर की लकड़ी के खिलौने प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री कन्याल ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया तथा स्टॉलों पर संबंधित कारीगरों एवं उनके राज्यों के नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। अतिथियों द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों की आकर्षक प्रस्तुति की सराहना की गई तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया, जिससे स्थानीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले और आमजन पारंपरिक कला एवं संस्कृति से परिचित हो सके।

प्रदर्शनी स्थल पर हस्तनिर्मित वस्त्र, लकड़ी एवं धातु शिल्प, बांस व जूट उत्पाद, मिट्टी एवं पत्थर की कलाकृतियाँ तथा विविध सजावटी हस्तशिल्प सामग्री आमजन के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं जन-जागरूकता गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है, जो प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण हैं।

इस अवसर पर श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भी उपस्थित रहे। उन्होंने जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, शिल्प प्रेमियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हस्तशिल्प प्रदर्शनी–2026 का अवलोकन करें तथा शिल्पकारों का उत्साहवर्धन करें।

राष्ट्रीय स्तर पर बहु-राज्यीय सहकारी समितियां

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर की तीन बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना की है: निर्यात के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), जैविक उपज के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और उन्नत बीजों के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल)। इन समितियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत किया गया है। पैक्स से लेकर शीर्ष स्तर तक की सभी सहकारी समितियां इनकी सदस्य बनने के लिए पात्र हैं।

ये समितियां चिह्नित सेक्टरों में जागरूकता बढ़ाने और पैक्स सहित सभी सहकारी समितियों के सदस्य के रूप में नामांकन करने के लिए सभी राज्यों के साथ समन्वित प्रयास कर रही हैं। इस पहल के अंतर्गत देश भर में एनसीईएल, बीबीएसएसएल और एनसीओएल ने क्रमश: कुल 15,790, 34,078 और 11,822 सदस्यों को नामांकित किया है।

हिमाचल प्रदेश में कुल 140, 451 और 139 पैक्स क्रमश: एनसीईएल, बीबीएसएसएल और एनसीओएल के सदस्य बन गए हैं। इनमें से एनसीईएल से 15 पैक्स, बीबीएसएसएल से 12 पैक्स और एनसीओएल से 04 पैक्स शिमला के हैं।

वर्तमान में सीमांत किसानों को जोड़ने के लिए कोई पृथक या विशेष फास्ट-ट्रैक योजना अधिसूचित नहीं की गई है। यद्यपि, ये तीनों सहकारी समितियां राज्यों द्वारा नामित नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से सदस्यता और कार्यकलापों के विस्तार के लिए कार्य कर रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि इनके सदस्य बनने वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो सके।

एपीईडीए और एफएसएसएआई द्वारा प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रत्यायन का कार्य किया जा रहा है और एनपीओपी मानकों के तहत जैविक प्रमाणन में सहयोग हेतु संबंधित मंत्रालयों एवं एजेंसियों के समन्वय से जिला स्तर पर भी एनसीओएल द्वारा इन प्रयोगशालाओं के नामिकायन और उपयोग करने में सुविधा प्रदान की जा रही है।

डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए सहायता

नई दिल्ली। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी कवरेज का विस्तार करने, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से सहकारी नेतृत्व में "श्वेत क्रांति 2.0" शुरू की है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध प्रापण को मौजूदा स्तर से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना, अनाच्छादित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करना और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाना है।

पूर्ण रूप से देखा जाए तो, पांचवें वर्ष के अंत तक अर्थात 2028-29 तक, डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध प्रापण 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह लक्ष्य दो-आयामी रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा :

- डेयरी सहकारी समितियों द्वारा कवरेज का विस्तार करना।
- डेयरी सहकारी समितियों की पहुँच को सघन करना।

यह पहल श्वेत क्रांति 2.0 में शामिल निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण की समस्याओं का समाधान करती है: -

लगभग 1,20,000 नई/मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस)/ बहुउद्देशीय-डीसीएस (एम- डीसीएस)/बहुउद्देशीय-पैक्स (एम-पैक्स) की स्थापना और सशक्तीकरण।

मौजूदा दुग्ध मार्गों के विस्तार या नए दुग्ध मार्गों का सृजन करके इन सहकारी समितियों को दुग्ध मार्गों के साथ जोड़ना।

सहकारिता में युवाओं की भागीदारी पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

जबलपुर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर द्वारा श्रीराम कॉलेज, जबलपुर के युवाओं/युवतियों के लिए "सहकारिता में युवाओं की भागीदारी" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को सहकारिता आंदोलन की मूल भावना से परिचित कराते हुए उन्हें इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देना रहा।

कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्री विजय बरवे द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम है, जिसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को सहकारिता के माध्यम से नेतृत्व, उद्यमिता और रोजगार सृजन की संभावनाओं से अवगत कराया।

कार्यशाला के दौरान केंद्र के प्रशिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, विभिन्न इंटर्नशिप कार्यक्रमों, तथा सहकारी समितियों की संरचना, कार्यप्रणाली और पंजीयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही छात्रों से संबंधित विभिन्न सहकारी योजनाओं, जैसे शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता से जुड़ी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और सहकारिता से जुड़े अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए। यह कार्यशाला युवाओं में सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हंअ इस क्षेत्र में भविष्य निर्माण हेतु प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में 15 दिवसीय अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ

इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, प्रबंधन, लेखा-जोखा, प्रशासनिक इंदौर में 15 दिवसीय अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (सत्र क्रमांक-3) का शुभारंभ दिनांक 05 फरवरी 2026 को किया गया। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम सहकारिता के क्षेत्र में युवाओं को व्यावहारिक ज्ञान, कौशल विकास एवं संस्थागत कार्यप्रणाली से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रशिक्षकगण एवं इंटर्नशिप में सहभागिता करने वाले प्रशिक्षार्थी उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारियों द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य एवं अपेक्षित परिणामों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह 15 दिवसीय प्रशिक्षण सहकारिता, कृषक उत्पादक संगठन (FPO), प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS), वित्तीय प्रक्रियाएँ एवं सरकारी योजनाओं की व्यवहारिक समझ विकसित करने में सहायक होगा।

इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को कक्षा शिक्षण के साथ-साथ केस स्टडी, समूह चर्चा एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाएगा। इससे प्रतिभागियों को भविष्य में सहकारिता एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यक दक्षता एवं अनुभव प्राप्त होगा।कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने एवं रोजगारोन्मुखी कौशल विकसित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

पैक्स कम्प्यूटरीकरण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नाबार्ड द्वारा अपेक्स बैंक पुरस्कृत

भोपाल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), मध्यप्रदेश द्वारा आज मिन्टो हॉल, भोपाल में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी (स्टेट फोकस) 2026–27 कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश को पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) के कम्प्यूटरीकरण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के माननीय सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग तथा माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना की गरिमामयी उपस्थिति में, नाबार्ड मध्यप्रदेश की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी. सरस्वती एवं भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय संचालक श्रीमती रेखा चंदानवेली द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता को राज्य की सभी पैक्स के सफल कम्प्यूटरीकरण हेतु सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया।

उल्लेखनीय है कि पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश ने इस राष्ट्रीय महत्व की योजना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के माध्यम से पैक्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता, डिजिटलीकरण एवं किसानों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना संभव हुआ है।

इस उपलब्धि पर अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री, प्रमुख सचिव सहकारिता एवं आयुक्त सहकारिता के मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सफलता सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

कार्यक्रम के दौरान पैक्स कम्प्यूटरीकरण के सफल क्रियान्वयन में विशेष योगदान देने हेतु बैंक के श्री के.टी. सज्जन, उप महाप्रबंधक (डीजीएम) एवं श्री अरविंद बौद्ध, आईटी हेड एवं ओएसडी को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त, जिला सहकारी बैंक शिवपुरी एवं सतना के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को टर्नअराउंड प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तथा जिला सहकारी बैंक मंदसौर एवं बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अंकेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भी सम्मानित किया गया।

यह उपलब्धि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी तथा किसानों को डिजिटल एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।